# छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक 2155/87/2013/परीक्षा रायपुर,दिनांक / /

## "दिनांक 29.09.2013 को आयोजित होने वाली परीक्षाओं के संबंध में विकलांग अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना"

आयोग द्वारा **दिनांक 29.09.2013 को आयोजित होने वाली परीक्षाओं–** पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ परीक्षा–2012, सहायक संचालक कृषि परीक्षा–2012, सहायक संचालक मत्स्योद्योग परीक्षा–2013 **का आयोजन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में संपादित की जाएगी। उक्त परीक्षा में सम्मिलित ऐसे सभी अभ्यर्थी जो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हैं या ऐसे अभ्यर्थी जिनके दोनों हाथ नहीं है, या जो अपने दाएं–बाएं दोनों हाथों का उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय प्रमाण पत्र/सिविल सर्जन का चिकित्सीय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा सह लेखक की सुविधा दी जायेगी। सह लेखक की शैक्षणिक योग्यता बारहवीं (10 +2) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी, सहायक लेखक की सुविधा प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सहायक लेखक की दो पासपार्ट साईज फोटो, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, सह लेखक के रूप में कार्य करने के संबंध में उसकी सहमति के साथ परीक्षा तिथि के 8 दिन पूर्व आयोग कार्यालय में अनुभाग अधिकारी (परीक्षा) से अनिवार्यतः संपर्क करें।**

2/ अभ्यर्थी उपरोक्त परीक्षाओं में केल्क्यूलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अपने साथ डिजिटल डायरी, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन और पेजर लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

3/ परीक्षा परिसर में एवं भवन के अंदर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है/अशिष्ट, उद्दण्ड आचरण करता है/अनुचित/अशोभनीय या अश्लील व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा एवं उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे।

अवर सचिव
छ.ग. लोक सेवा आयोग
रायपुर